



2026:AHC-:24716-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 1685 / 2026

माता कुसुम देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कुरीला, जखनिया, जिला गाज़ीपुरयाचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	राहुल सिंह, रणजीत कुमार अस्थाना
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि वह इस रिट याचिका पर नहीं करना चाहते हैं और इसे बेहतर विवरण के साथ नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य की ओर से विद्वान एजीए को उपरोक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के आधार पर खारिज की जाती है।
5. प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को वापस कर दी जाए।

फरवरी 4, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, जे.) (राजीव गुप्ता, जे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"